



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 387 राँची, मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

27 जुलाई, 2022

विषय:- झारखण्ड राज्य की ऐसी जातियां, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में सूचीबद्ध हैं परन्तु केन्द्रीय ओ०बी०सी० की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं, को केन्द्र सरकार की सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के रूप में आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अंगीकृत करने के संबंध में ।

संख्या-14/आ0नी0-04-01/2021 का.- 4645--कार्मिक विभागीय संकल्प सं0-1433, दिनांक-15.02.2019 के द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण हेतु दिशा निर्देश निर्गत हैं। उक्त संकल्प की कंडिका 2 के अनुसार “आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग से संबंधित व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के लिए आरक्षण के स्कीम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं, उन्हें झारखण्ड सरकार के सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा।” उक्त संकल्प के परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न प्रपत्र में

सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य होता है। उपरोक्त संकल्प के परिशिष्ट-I के अनुसार झारखण्ड सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की कंडिका 2 में प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी द्वारा यह घोषणा की जाती है कि संबंधित व्यक्ति की जाति झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओ०बी०सी०/ई०बी०सी०-I/ बी०सी०-II के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हैं।

2. झारखण्ड राज्य में ऐसी कई जातियाँ हैं, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1 एवं 2) में सूचीबद्ध है, परन्तु झारखण्ड राज्य के लिए केन्द्रीय ओ०बी०सी० की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें विहित प्रपत्र में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने में तकनीकी बाधा उत्पन्न हो गयी है। जिसके कारण ऐसी जातियों के अभ्यर्थियों को केन्द्र सरकार की सेवाओं में न तो जातिगत आरक्षण का लाभ मिल पाता है और न ही आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु अनुमान्य आरक्षण का लाभ मिल रहा है। केन्द्र एवं राज्य हेतु आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र अलग-अलग निर्गत करने की व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसी जातियों के व्यक्तियों के द्वारा केन्द्र सरकार की सेवा में नियुक्ति में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा पा रहा है।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन 36039/1/2019- Estt (Res), दिनांक-31.01.2019 के परिशिष्ट-I (छायाप्रति संलग्न) के रूप में संलग्न आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के प्रपत्र को अंगीकृत किया जाय, ताकि ऐसी जातियाँ, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1 एवं 2) में सूचीबद्ध है, परन्तु झारखण्ड राज्य के लिए केन्द्रीय ओ०बी०सी० की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, को भी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। यह प्रपत्र संकल्प सं०-1433, दिनांक-15.02.2019 के साथ परिशिष्ट I के रूप में संलग्न प्रपत्र के अतिरिक्त होगा।

सम्प्रति ऐसी जातियाँ, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1 एवं 2) में सूचीबद्ध है, परन्तु झारखण्ड राज्य के लिए केन्द्रीय ओ०बी०सी० की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन 36039/1/2019- Estt (Res), दिनांक-31.01.2019 के परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न विहित प्रपत्र में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव।

Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____ Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is certify that Shri/Smt./Kumari _____
 son/daughter/wife of _____ permanent resident of
 _____ village/Street _____ post Office
 _____ District _____ in the State/Union Territory
 _____ Pin Code _____ whose photograph attested below
 belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her
 'family'** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year
 _____. His/her family does not own or possess any of the following
 assests***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____
 caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and Other
 Backward Classes (Central List).

Signature with seal of office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport size
 attested Photograph of
 the applicant

*Note1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc.

**Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.
